न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 60/2011

1 सुभाष पुत्र स्व. सरदाराराम पेशा खेती व नोकरी जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सुमरे सिंह पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मु. घोटी देवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
3 विक्रम पुत्र स्व. सुरेन्द्र
4 मु. मोनिका पुत्री स्व. सुरेन्द्र
5 मु. सरिता पुत्री स्व. सुरेन्द्र
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
6 मु. किरण देवी पत्नी स्व. राजपाल जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
7 प्रमोद पुत्र स्व. राजपाल
8 मु. पुनम पुत्री स्व. राजपाल
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
9 मु. परमेश्वरी पुत्री स्व. सरदाराराम पत्न जगराम जाति जाट निवासी भंगीना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दौराने अपील विचारण मृत्यू)
9/1 जगराम पुत्र भुराराम
9/2 दीपक पुत्र परमेश्वरी व जगराम
9/3 राजकुमार पुत्र परमेश्वरी व जगराम
समस्त जाति जाट निवासी भंगीना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9/4 सरिता पुत्री परमेश्वरी व जगराम पत्नी राजेश
9/5 सविता पुत्री परमेश्वरी व जगराम पत्नी जगप्रवेश
सतस्त जाति जाट निवासीगण केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9/6 बलेश पुत्री परमेश्वरी व जगराम पत्नी अशोक
9/7 भतेरी पुत्री परमेश्वरी व जगराम अनुज
समस्त जाति जाट निवासीगण पंघाल का बास तन डुलानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10 मु. भानी पुत्री सरदाराराम पत्नी सतवीर
11 मु. उमराव पुत्री सरदाराराम पत्नी रामनिवासी
समस्त जाति जाट निवासीगण नाननोद तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
12 मु. सरस्वती उर्फ सरबती पत्नी स्व. मूंगाराम
13 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मूंगाराम
14 विजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मूंगाराम
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
15 हरिसिंह पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। दावा दौराने मृत्यु
15/1 सुरेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
15/2 रामप्यारी पत्नी सतवीर पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
15/3 राजकौर पत्नी जयसिंह पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी घरड़ाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
16 मु. जमना पत्नी स्व. पितराम (दौराने अपील विचारण मृत्यु)
17 राजेश कुमार पुत्र स्व. पितराम
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
18 रामेश्वर पुत्र स्व. नाराणा जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दावा दौराने मृत्यु)
19 सरदारा पुत्र स्व. नाराणा (दौराने अपील विचारण मृत्यु)
19/1 अणची पत्नी सरदारा
19/2 बलवीर पुत्र सरदारा
19/3 धर्मवीर पुत्र सरदारा
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19/4 गायत्री पुत्री सरदारा पत्नी रघुवीर जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
19/5 सुमन पुत्री सरदारा पत्नी रमेश जाति जाट निवासी खेडला तहसील जिला झुन्झुनूं।
20 नेमीचन्द पुत्र स्व. नाराणा (दौराने अपील विचारण मृत्यु)
20/1 शांति पत्नी नेमीचन्द
20/2 सुनिल पुत्र नेमीचन्द
20/3 सुनिता पुत्री नेमीचन्द पत्नी जगपाल
समस्त जाति जाट निवासीगण गोदारों का बास श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
20/4 रेखा पुत्री नेमीचन्द पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी खेडला तहसील पिलानी जिला झुन्झुनूं।
21 रामनिवास पुत्र स्व. नाराणा समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
22 चन्द्रमान पुत्र स्व. नाराणा जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दावा दौराने मृत्यु)
22/1 राजवन्ती पत्नी स्व. चन्द्रभान
22/2 विरेन्द्र पुत्र स्व. चन्द्रभान
22/3 सतपाल पुत्र स्व. चन्द्रभान समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
22/4 अनिता पत्नी धर्मपाल पुत्री स्व. चन्द्रभान जाति जाट निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
22/5 मंजु पत्नी प्रदीप पुत्री स्व. चन्द्रभान जाति जाट निवासी चनाना खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
23 श्रीमती रेशमी पुत्री स्व. नाराणा पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी घूमनसर पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
24 मु. रामप्यारी पत्नी झुथा (दौराने अपील विचारण मृत्यु)
25 महावीर पुत्र स्व. झुथा
26 राजेन्द्र पुत्र स्व. झुथा
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
27 कुरड़ा पुत्र स्व. भींवा जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दावा दौराने मृत्यु)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

27/1 शान्ति पत्नी स्व. कुरड़ाराम
27/2 रामचन्द्र पुत्र स्व. कुरड़ाराम
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
27/3 ओमपति पत्नी राजवीर पुत्री स्व. कुरड़ाराम जाति जाट निवासी सुलखनिया छोटा तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
27/4 मुन्नी पत्नी विजय सिंह पुत्री स्व. कुरड़ाराम जाति जाट निवासी धतरवाला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
28 ईश्वर पुत्र स्व. भींवा (दौराने अपील विचारण मृत्यु)
28/1 नरेन्द्र पुत्र (मृतक) ईश्वर
28/1/1 बिमला पत्नी नरेन्द्र
28/1/2 राकेश पुत्र नरेन्द्र
28/1/3 विकास पुत्र नरेन्द्र
28/2 प्रमोद पुत्र ईश्वर
समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
28/3 मोहनी पुत्री ईश्वर पत्नी सतीश निवासी बेवड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
29 गजू पुत्र स्व. भींवा जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। (दावा दौराने मृत्यु)
29/1 चांदकौर पत्नी स्व. गजु
29/2 रविन्द्र पुत्र स्व. गजु समस्त जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
29/3 सुधा पत्नी ठोमचन्द पुत्री स्व. गजु जाति जाट निवासी मापर तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
29/4 सुनिता पत्नी अनिल पुत्री स्व. गजु
29/5 सुशीला पत्नी विद्याधर पुत्री स्व. गजु समस्त जाति जाट निवासीगण मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
30 बशु पुत्र स्व. भींवा (दौराने अपील विचारण मृत्यु)
30/1 परमेश्वरी पत्नी बशु
30/2 विजेन्द्र पुत्र बशु
30/3 सुरेन्द्र पुत्र बशु मृतक
30/3/1 पुनम पत्नी सुरेन्द्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

30/3/2 भव्य पुत्र सुरेन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुनम समस्त जाति जाट निवासीगण लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
31 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
32 रोताश पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.। दावा दौराने मृत्यु
32/1 वीरमति पत्नी स्व. रोताश जाति जाट निवासी लाम्बा गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील विचारण मृत्यु
32/2 सरोज पत्नी सुनील पुत्री स्व. रोताश जाति जाट निवासी बेबड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011
बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी सुभाष आदि बनाम
सुमेर सिंह आदि दावा संख्या 70/2005

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7/4/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 70/2005 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद इस्तकरार हक, बंटवारा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 36/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 66, खसरा नम्बर गत 316/1 हाल खसरा नम्बर 720, 378, 396, 397, 398, 399, 400, 813/377 वाके ग्राम लाम्बा गोठड़ा का तहसील चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 को अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 32 के खिलाफ तय कर कानूनी भूल की है। तनकी नम्बर 2 व 3 का निर्णय भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 32 के खिलाफ तय करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने जमीन जैर बहस को स्व. सरदाराराम के जीवनकाल में उसके अकेले की खातेदारी में दर्ज होना मानकर जो निर्णय पारित किया है वह गलत है। स्व. सरदाराराम की मृत्यु होने पर जो विरासतन नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। उसको चुनौती नहीं देना मानकर उक्त तनकी को गलत रूप से निर्णित किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने के आधार गलत दर्ज किये है। तनकी नम्बर 1 से 3 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 32 ने अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। विवादित आराजियात का टिनेन्ट पहले सरदारा का पिता जैलाराम रहा। उक्त तथ्य की ताईद प्रदश–5 से प्रदर्श 10 से होती है। विवादित जमीन के गत व हाल खसरा नम्बर की ताईद प्रदर्श 15 से 16 से होती है। अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 32 का जन्म उनके दादा जैलाराम के देहान्त के वक्त हो चुका था। सरदाराराम व उसके वारिसान हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित होते है यह एक स्वीकृत तथ्य है इस प्रकार विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता सरदाराराम को उसके पिता जैलाराम से मिली। इस प्रकार विवादित आराजी पैतृक भूमि साबित है। सरदाराराम को देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व हुआ। इस प्रकार विवादित आराजी में सरदाराराम के जीवनकाल में उसके पुत्रों का सरदाराराम के बराबर हिस्सा हुआ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

सरदाराराम के जीवनकाल में विवादित जमीन पैतृक सहदायी सम्पति होने से सरदाराराम का 1/5 हिस्सा हुआ और उसके प्रत्येक पुत्र का उसके जीवनकाल में 1/5 हिस्सा हुआ। सरदाराराम के मरने पर उसका 1/5 हिस्सा उत्तराधिकार में उसके तमाम पुत्रों–पुत्रियों का हुआ। इस प्रकार प्रत्येक पुत्र का हिस्सा 1/5 + 1/35 तथा प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 1/35 हुआ। अपीलान्ट ने उपरोक्त हक हिस्से को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा कानून से साबित किया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने गलत आधार दर्ज कर गलत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ईश्वर सिंह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पहले जैसाराम की रही है। रेस्पोडेन्ट ईश्वर सिंह के अलावा अन्य किसी रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट के दावा को खारिज करने के कोई युक्तियुक्त आधार दर्ज नहीं किय गये है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नजरअदांज कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील अपीलांट मन्जूर की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2011 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 32 के दावा को बहक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 32 निर्णित कर डिक्री किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1978 एससी पेज 1239, आरआरडी 1978 पेज 375, एआईआर 1984 एससी पेज 1234, डीएनजे 2002(3) राज. पेज 1357, आरएलडब्ल्यू 2006(2) राज पेज 1296, आरआरटी 2006–07 (सप्ली.) पेज 153, एआईआर 1971 पेज 164, आरआरडी 1972 पेज 128, आरआरडी 1982 पेज 299 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पूर्व में सरदाराराम की खातेदारी काश्त की विवादित भूमि जिसमें सरदाराराम के स्वर्गवास पर उसके वारिसान के नाम से ही नामान्तकरण संख्या 85 विरासतन दर्ज हुआ है उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 व 9 लगायत 11 ने अपने–अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 23 को विक्रय की है जिसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो चुके है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड को आज तक चैलेंज नहीं किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

नामान्तकरण सख्या 85 दिनांक 27.12.88 को खातेदार सरदाराराम के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज हुआ है जिसको चुनौती नहीं दी गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड सरदाराराम के 1/6 हिस्से के प्रत्येक वादीगण 1/7 वे हिस्से के प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 संयुक्त रूप से 1/7 वे हिस्से के, प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 संयुक्त रूप से 1/7 वे हिस्से के तथा प्रतिवादीगण 9 लगायत 11, 1/7 वे हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिन्हें चुनौती देने एवं अलग से खातेदारी घोषित करवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। सभी पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है इसलिए वादीगण किसी प्रकार की इस्तदुआ पाने के अधिकारी नहीं है विवादित भूमि का स्व. सरदाराराम अपने जीवनकाल तक अकेला रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त रहा है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात जमीन जैर बहस उत्तराधिकारी में उसके सभी वारिसान को बराबर–2 हक हिस्से के अनुसार मिली है तथा उक्त अनुसार ही सभी रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है तथा प्रत्येक 1/7 के हिस्से के खातेदार रहे है इस प्रकार वादीगण अब किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2020(3) एससी पेज 817 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में सरदाराराम की खातेदारी काश्त की विवादित भूमि जिसमें सरदाराराम के स्वर्गवास पर उसके वारिसान के नाम से ही नामान्तकरण संख्या 85 विरासतन दर्ज हुआ है उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 व 9 लगायत 11 ने अपने–अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 23 को विक्रय की है जिसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो चुके है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड को आज तक चैलेंज नहीं किया है। नामान्तकरण सख्या 85 दिनांक 27.12.88 को खातेदार सरदाराराम के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज हुआ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

है जिसको चुनौती नहीं दी गई है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड सरदाराराम के 1/6 हिस्से के प्रत्येक वादीगण 1/7 वे हिस्से के प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 संयुक्त रूप से 1/7 वे हिस्से के, प्रतिवादीगण 6 लगायत 8 संयुक्त रूप से 1/7 वे हिस्से के तथा प्रतिवादीगण 9 लगायत 11, 1/7 वे हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिन्हें चुनौती देने एवं अलग से खातेदारी घोषित करवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। सभी पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है इसलिए वादीगण किसी प्रकार की इस्तदुआ पाने के अधिकारी नहीं है विवादित भूमि का स्व. सरदाराराम अपने जीवनकाल तक अकेला रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त रहा है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात जमीन जैर बहस उत्तराधिकारी में उसके सभी वारिसान को बराबर–2 हक हिस्से के अनुसार मिली है तथा उक्त अनुसार ही सभी रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है तथा प्रत्येक 1/7 के हिस्से के खातेदार रहे है इस प्रकार वादीगण अब किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर